

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-290 / 2012  
संस्थित दिनांक-09 / 04 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**विरुद्ध**

कोमल बिसेन पिता स्व. राधेलाल बिसेन, उम्र 30 वर्ष,  
निवासी-ग्राम समनापुर, चौकी उकवा, थाना रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियुक्त**

// निर्णय //

**(आज दिनांक-18/02/2015 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 427 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-21.03.2012 को 9:00 बजे रात्रि उकवा माईन्स अस्पताल के सामने आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक-एम.पी.50/जी-0342 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन से अन्य वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/जी-0318 को ठोस मारकर रिष्टी कारित की तथा आहत पूनाराम को उपहति कारित की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.03.2012 को रात्रि 9:00 बजे उकवा माईन्स अस्पताल के पास रोड़ पर आरोपी मेटाडोर क्रमांक-एम.पी.50/जी-0342 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/जी-0318 को टक्कर मारकर आहत रमेश को उपहति कारित कर दी। फरियादी रमेश की सूचना पर पुलिस थाना रूपझर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-35/2012, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, वाहन का नुकसानी पंचनामा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 427 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार

किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत पूनाराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध धारा-337, 427 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष धारा 279 भा.द.वि. के अंतर्गत के अपराध का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-21.03.2012 को 9:00 बजे रात्रि उकवा माईन्स अस्पताल के सामने आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक-एम.पी.50/जी-0342 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— रमेश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी कोमल बिसेन को नहीं पहचानता। घटना के समय एक मेटाडोर ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गया था तथा उस कारण उसे मामूली चोट आई थी। उसने चौकी उकवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लिखाई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पूछताछ कर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना मेटाडोर चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मेटाडोर के चालक को नहीं देख पाया था और वाहन कैसे चल रहा था वह नहीं देखा पाया था। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में मेटाडोर के चालक को न देख पाने और उक्त वाहन कैसे चल रहा था न देख पाने के कथन किये हैं। साक्षी ने उसके पुलिस कथन में भी मेटाडोर चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के बारे में बताए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए भी अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— मंगेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता और घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी ने मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/जी. 0342 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टेक्टर को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उक्त कारण से टेक्टर को नुकसानी होने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— तिरथ कटरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता और घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी ने मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/जी. 0342 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टेक्टर को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उक्त कारण से टेक्टर को नुकसानी होने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— अनुसंधानकर्ता अधिकारी कपूरचंद बिसेन (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 21.03.12 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पूनाराम की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रदर्श पी-1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. लेखबद्ध किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसे असल नंबरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जो चित्रराज बागड़े के द्वारा लेख किया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके हस्ताक्षर को वह भली-भांती पहचानता हैं, क्योंकि उसने उसके करीब दो वर्ष तक कार्य किया है। विवेचना के दौरान दिनांक 22.03.13 को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी रमेश एवं मंगेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 21.03.12 को घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/जी. 0342 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन पत्र एवं ड्राइविंग लायसेंस जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त मेटाडोर का साक्षियों के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेटाडोर का मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित की थी।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। इस प्रकार मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि उक्त समर्थनकारी साक्ष्य का मामले में अधिक महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मामले के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी तीरथ (अ.सा.3) व मंगेश (अ.सा.2) ने दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने से तथा अन्य वाहन ट्रेक्टर को टक्कर मारने से भी इंकार किया है। स्वयं आहत रमेश (अ.सा.1) ने भी अपनी साक्ष्य में कथित दुर्घटना कारित

वाहन मेटाडोर के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है, तथा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने से तथा उक्त कारण से ट्रेक्टर को टक्कर मारकर नुकसानी पहुंचाने से भी इंकार किया है।

11— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय ट्रेक्टर व मेटाडोर की आमने सामने की टक्कर हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। मामले में प्रस्तुत मात्र समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर माईन्स अस्पताल के सामने आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक-एम.पी. 50/जी-0342 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मेटाडोर क्रमांक-एम.पी.50/जी-0342 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार निलेश अग्रवाल पिता स्व. चैतन्य प्रसाद उम्र 25 वर्ष, निवासी उकवा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट